यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

निगरानी संख्याः— 18/18 (RCMS No. 2018/00021) (धारा 73 (2) नगर पालिका अधिनियम 2009)

मुकेश बैरवा पुत्र हरकेश जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला पट्टीखुर्द तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. आयुक्त नगरपरिषद, गंगापुर सिटी
2. सभापति, नगरपरिषद, गंगापुर सिटी
3. पवन कुमार गुप्ता पुत्र माणकचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी चूलीगेट, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

.....अप्रार्थी

अपील विरूद्ध निर्णय आयुक्त, नगर परिषद गंगापुर सिटी पट्टा विलेख सं0 2423 दिनांक 10.11.2017 एवं नोटिस कमांक 10435 दिनांक 24.01.2018

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद कुमार गुर्जर वकील प्रार्थी
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अप्रार्थी सं0 1
3. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 3

नि र्ण य **दिनांकः 13.03.2018**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 73(2) नगर पालिका अधिनियम 2009 आयुक्त नगरपरिषद गंगापुर सिटी के पट्टा सं0 2423 दिनांक 10.11.2017 एवं नोटिस कमांक 14035 दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी को नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर द्वारा वार्ड नं0 5 आरजीएम हॉस्टीटल के पास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 30 फीट आम रास्ते में बाउण्ड्री बॉल व टीनशेड डालकर गेट लगाकर अतिक्रमण करने पर नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत नोटिस जारी किया गया एवं अप्रार्थी सं0 3 पवन कुमार गुप्ता को ख0 नं0 425/395 वॉके ग्राम महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी का 10000 वर्गमीटर का पट्टा सं0 2423 दिनांक 10.11.17 को नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा जारी किया गया, के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गयी है।

विद्वान वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 172, 173 व 174 में से सह खातेदार प्रकाश चन्द महावर से उसका हिसा दिनांक 12.08.2011 को क्रय किया था, तभी से उस पर अपना निर्माण कार्य करा लिया था। जिसकी फोटो लिखित बहस के साथ पेश की हैं। इसके बाबजूद भी नगर परिषद गंगापुर सिटी ने प्रार्थी के निर्माण को अतिक्रमण माना है। उक्त आराजी 90(ए) में तब्दील हो चुकी है। जिसका पट्टा प्राप्ति के लिये नगर परिषद में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। लेकिन पवन कुमार ने दीगर भूमि में से पट्टा प्राप्त किया था लेकिन नगर परिषद से मिलकर अपनी स्वंय की आराजी का रास्ता ले आउट में तैयार करवाया गया था। उसका रास्ता प्रार्थी की निर्माण शुदा प्लाट में होकर अंकित कर दिया है तथा स्वंय से पट्टा में भी रास्ता प्रार्थी के भू खण्ड में से दर्शित करवा दिया है। प्रार्थी ने सन् 2011 में उक्त भूखण्ड खरीद किया था तभी से प्रार्थी उसमें निमार्ण करके रह रहा है। नगर परषिद गंगापुर सिटी ने गलत रूप से प्रार्थी के भूखण्ड में से रास्ता दिखाया है। पवन कुमार को ख0 नं0 425/395 में पट्टा दिया गया है उसका रास्ता प्रार्थी के भूखण्ड में से दर्शाया है जो सरासर गलत है। किसी भी कृषि भूमि को पट्टा जारी करने से पूर्व उसके लिये एक स्पष्ट रास्ता होना चाहिये। लेकिन इस प्रकरण में भूमि ख0 नं0 425/395 के लिये कोई रास्ता नही था। प्रार्थी को गलत नोटिस दिया है। जोकि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 में किसी भी प्रकार से समाविष्ट नही है। धारा 245 में केवल वही अतिक्रमण आते हैं, जो नगर पालिका की जमीन पर किये गये हों जबकि प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है। उक्त ख0 नं0 नगर परिषद का नहीं है। प्रार्थी ने जब खरीद की थी तो यह जमीन राजस्व रिकार्ड में नगर परिषद के नाम दर्ज नही थी। बाद में नगर परषिद गंगापुर सिटी ने भूमाफिया पवन कुमार से सांठ गांठ करके उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के स्थगन आदेश के बाबजूद इसे 90ए कर दिया जो गलत है। उन्होंने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि नगर परिषद प्रार्थी को किस प्रकार से अतिक्रमी मानती है जबकि उक्त भूखण्ड खरीदशुदा है। नगर परिषद ने जो ले आउट प्लान बनाया है, वह गलत है। ख0 नं0 425/395 के पट्टा दिनांक 10.11.17 में आने जाने के लिये तहसील गंगापुर सिटी के राजस्व नक्शा ट्रेस में कोई रास्ता दर्शित नही है। 90ए में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी खसरा नम्बरान के लिये रास्ता नही है तो उसे कृषि से अकृषि में परिवर्तित नही किया जा सकता है। नगर परिषद ने पवन कुमार को गलत पट्टा जारी किया है। अतः पट्टा सं0 2423 दिनांक 10.11.17 एवं नोटिस क्रमांक 4027 दिनांक 24.01.18 निरस्त किया जावे।

विद्धान वकील अप्रार्थी सं0 1 नगर परिषद गंगापुर सिटी का तर्क है कि नगर परिषद ने पट्टा विलेख संख्या 2423 दिनांक 10.11.17 को पवन कुमार गुप्ता को जारी किया था जो सब रजिस्ट्रार गंगापुर सिटी द्वारा रजिस्टर्ड करा दिया है इसलिये मुकेश वैरवा को चेलेन्ज करने का अधिकार नही है। उक्त पट्टे को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। नगर परिषद ने धारा 245 नगर पालिका अधिनियम के तहत अतिक्रमण का नोटिस दिया था जिसे निगरानी में रोकने का अधिकार श्रीमान् के न्यायालय को नही है। प्रार्थी ने निगरानी में तथ्यों को छुपाया है। पट्टा पवन कुमार गुप्ता के हक में सही जारी किया गया है। प्रार्थी उक्त भूखण्ड का स्वामी ही नही है इसलिये उसे उक्त पट्टे के विरूद्ध निगरानी करने का एवं स्थगन प्राप्त करने का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

अधिकार नही है। उनका तर्क है कि आराजी ख0 नं0 172, 173 व 174 वॉके ग्राम महानन्दपुर में से सह खातेदार प्रकाश चन्द महावर द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय करना बताया जो गलत है। बिना सह खातेदारों के मध्य विभाजन के किसी विशेष हिस्से को किसी भी खातेदार को बिक्रय करने का अधिकार नही है। उक्त कथित इकरारनामे से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। उक्त इकरारनामा फर्जी है। इस संबंध में एफ.आई.आर भी प्रार्थी के विरूद्ध थाना गंगापुर सिटी में दर्ज करा रखी है। उनका तर्क है कि पवन कुमार को जो पट्टा दिया गया है उसके वतरफ पूरव में 30 फुट चौडा रास्ता है जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अन्य भूखण्डों को जाता है। 30 फुट के रास्ते में प्रार्थी ट्रेसपासर है और इसी कारण उसे धारा 245 नगर पालिका अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है जिसमें अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ तीन साल की सजा एवं 30000 से 50000 रूपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 3 के हक में जारी पट्टे के विरूद्ध निगरानी करने का कोई लोकल स्टेन्डाई नही है और न ही उसे दिनांक 24.01.18 के नोटिस के विरूद्ध निगरानी करने का अधिकार है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 3 पवन कुमार गुप्ता का कथन है कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी वेवुनियाद एवं अवैधानिक आधारों पर पेश की है। प्रार्थी ने नगर परिषद गंगापुरसिटी से स्वीकृत शुदा ले आउट प्लान में प्रदर्शित आम रास्ते पर अतिक्रमण कर गुण्डों एवं असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर जबरदस्ती हथियारों के बल पर तामीर कर ली है। जिसको हटाने एवं साफ कराने हेतु नगर परिषद ने नोटिस जारी किया किया है। रास्ते पर अतिक्रमण से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान नं. 3 के तहत अवासीय कालौनी के निर्माण में वाधा आ गई है व रास्ता में अवरोध पैदा हो गया है। अप्रार्थी के हक में जारी पट्टे से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नही है, न ही उसे कोई लोकल स्टैण्डाई व अधिकार है और न ही कथित इकरारनामा वयनामा की तारीफ में आता है। स्थगन नही रहने से प्रार्थी को कोई हानि नही होती है बल्कि स्थगन रहने से अप्रार्थी को अपरिमित क्षति होती है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया केस साबित भी नही है। प्रार्थी एक अतिक्रमी है इसलिये उसे स्थगन से प्रोटेक्ट नही किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। प्रार्थी का अप्रार्थी की योजना से कोई संबंध ही नही है। प्रार्थी ने रास्ता रोककर योजना के कार्य को रूकवाया है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। प्रार्थी को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया है। जिसकी निगरानी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं0 3 पवन कुमार गुप्ता को विवादित आराजी ख0 नं0 425/395 वॉके महानंदपुर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत नगर परषिद गंगापुर सिटी द्वारा पट्टा संख्या 2423 दिनांक 10.11.17 को जारी किया गया था। प्रार्थी/निगराकार ने प्रकाश चन्द महावर पुत्र जयराम महावर से बिक्रय पत्र ख0 नं0 172, 173 व 174 के कुल रकवा 1.41 हैक्टेयर वॉके ग्राम महानन्दपुर गंगापुर सिटी के 1/4 हिस्से का 25/70 हिस्से का विक्रय इकरारनामा दिनांक 12.08.2011 को लिखवाया है, जो नोटेरी से प्रमाणित है, पेश किया है जिसके आधार पर प्रार्थी ने उक्त निगरानी पेश की है। प्रथम तो पवन कुमार के हक में जो पट्टा जारी किया गया है वह ख0 नं0 425/395 वांके ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

महानन्दपुर के संबंध में है जिससे प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार ही नही है। दूसरे स्वंय प्रकाश चन्द महावर पुत्र जयराम महावर ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया है जिसमें अंकित किया है कि वह ख0 नं0 172, 173 व 174 के कुल रकवा 1.41 हैक्टेयर वॉके ग्राम महानन्दपुर गंगापुर सिटी के 1/4 हिस्से का 25/70 हिस्से का खातेदार है। उसने उक्त अपना हिस्सा कभी मुकेश वैरवा को वय नही किया है और न इस बाबत कोई इकरारनामा दिनांक 12.08.2011 को मुकेश वैरवा के हक में बेचान बाबत् लिखकर दिया है। मुकेश वैरवा ने फर्जी दस्तावेज इकरारनामा बनाया है। जहॉ तक इकरारनामा या फर्जी इकरारनामे का प्रश्न है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा इकरारनामे के आधार पर कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। प्रार्थी इस संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है। जहॉ तक ख नं0 425/395 का प्रश्न है। उक्त ख0 नं0 का 10000 वर्ग मीटर का पट्टा नगर परिषद ने पवन कुमार के हक में जारी किया है। प्रार्थी का इस ख0 नं0 से कोई ताल्लुक नही है। प्रकरण में मुख्य विवाद रास्ते को लेकर है। नगर परिषद ने रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में प्रार्थी/निगराकार को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर प्रार्थी/निगराकार ने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश कर निगरानी पेश की है तथा स्थगन प्राप्त किया है जो विधि सम्मत् नही है। प्रार्थी/निगराकार को नगर पालिका गंगापुर सिटी द्वारा रास्ते के अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है जिससे अप्रार्थी पवन कुमार के पट्टे से कोई संबंध ही नही है। प्रार्थी/निगराकार द्वारा की गई निगरानी विधि सम्मत् नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। नगर परिषद गंगापुरसिटी द्वारा दिये गये पट्टा विलेख संख्या 2423 दिनांक 10.11.17 को यथावत रखा जाता है। नगर परिषद गंगापुर सिटी अपने नोटिस क्रमांक 14035 दिनांक 24.01.18 के संबंध में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official